राजस्थान सरकार
साक्षर भारत
# निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा राजस्थान, जयपुर
डॉण एसण राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–5, प्रथम तल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
Tel.. 0141.2708836, 2707651, Fax No..2709025, 2701445 e.mail : dir-lit-rj@nic.in, website
www.rajliteracy.org
सूचना का अधिकार

क्रमांक : 20(12)/सूचना का अधिकार/2011/1547-84 दिनांक : 19-5-2022

**अतिआवश्यक**

## आदेश

कंसलटेंट, पर–पक्षीय ऑडिट ह च मा रीपा, जयपुर के पत्रांक एफ.आरटीआई/ऑडिट/रीपा/2021/151 जयपुर, दिनांक 08.03.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत स्वतः प्रकट की गयी सूचनाओं (Proactive disclosure) की पर–पक्षीय ऑडिट (Third party audit) के संबंध में धारा 4, विशेष रूप से धारा 4 (1)(ख) के अंतर्गत लोक प्राधिकरणों द्वारा, उनके प्राधिकरण की वेबसाइट पर, उनके द्वारा स्वतः प्रकट की गई सूचनाओं की पर–पक्षीय ऑडिट से सम्बंधित कार्य इस संस्थान द्वारा किया जा रहा है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1)(ख) के अंतर्गत साक्षरता विभाग से सम्बंधित, स्वतः प्रकटनीय सूचनाऐं, साक्षरता विभाग की वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें, जिससे पर–पक्षीय ऑडिट का कार्य सार्थक रूप से सम्पादित कर रिपोर्ट राज्य सरकार को यथा समय प्रस्तुत की जा सके ।

समस्त लोक सूचना अधिकारी एवं जिला लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत निम्नलिखत बिन्दुओं की सम्पूर्ण पालना करते हुये अपने–अपने अनुभाग एवं जिला की विभागीय वेबसाईट पर तत्काल प्रभाव से अपलोड करें :–

लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएँ :–

(क) अभिलेखों को सूचीबद्ध, अनुक्रमणिकाबद्ध, कम्प्यूटरीकृत किया जाना ।

(ख) स्व–घेषणऍ (17 बिन्दुओं) :–

(1) अपने संगठन की विशिष्टियॉ, कृत्य और कर्तव्य ।

(2) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य ।

(3) विनिश्चय करने की प्रकिया में पालन की जानेवाली प्रकिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदारयित्व के माध्यम सम्मिलित है ।

(4) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान ।

(5) अपनें द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लियें प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख ।

(6) ऐसे दस्तावचेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण ।

(7) किसी व्यवस्था की विशिष्टियॉ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वियन के संबंध में जनता के सयदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है ।

(8) ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किचया गया है और इस बारे में कि क्या उन बार्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिय खुली होगी या ऐसी बैठकों कार्यवृत तक जनाकी पहुॅच होगी, विवरण ।

(9) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका ।

राजस्थान सरकार
# निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा राजस्थान, जयपुर
डॉण एसण राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–5, प्रथम तल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
Tel.. 0141.2708836, 2707651, Fax No..2709025, 2701445 e.mail : dir-lit-rj@nic.in, website
www.rajliteracy.org

(10) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त माविसक परिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो ।

(11) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियॉ, उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट ।

(12) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित है ।

(13) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियॉ ।

(14) किसी इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो ।

(15) सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे समिम्मलित है ।

(16) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ ।

(17) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनो को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा ।

संयुक्त निदेशक

क्रमांक : 20(12)/सूचना का अधिकार/2011/ 1547-84 दिनांक : 19-5-2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. कंसलटेंट, पर–पक्षीय ऑडिट, हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक संस्थान, जयपुर ।
02. निजी सचीव, निदेशक महोदया,
03. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक महोदया,
04. समस्त लोक सूचना अधिकारी, एवं निदेशालय के अधिकारीगण,
05. समस्त जिला लोक सूचना अधिकारी,
06. वेबसाईट प्राभारी उक्त आदेश पालनार्थ ।

संयुक्त निदेशक